

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी  
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर  
वाद संख्या :- 17675/2018  
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T201810460517675  
छत्रपति साह जी महाराज बनाम उ०प्र० सरकार  
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय असि० कलेक्टर / उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर, लखनऊ

वाद संख्या- 336/18-19  
धारा 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006  
ग्राम-सदरौना  
परगना-बिजनौर  
छत्रपति साह जी महाराज बनाम उ०प्र० सरकार


निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही छत्रपतिसाहजी महाराज / एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा प्रबन्धक श्रीअवधेश सिंह पुत्र महावीर प्रसाद निवासी 554/647 छोटा बरहा आलमबाग जिला लखनऊ के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ की गयी। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि ग्राम सदरौना परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खाता संख्या 00290 पर अंकित गाटा संख्या 754 रकबा 0.568हे० पर वादी का नाम संकमणीय भूमिधर अंकित है। मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि कृषि प्रयोजन की नहीं है। कृषि या पशुपालन मत्स्यपालन कुक्कुटपालन बागवानी नहीं हो रही है। गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार सरोजनीनगर से करायी गयी। तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या न्यायालय को प्राप्त हुई कि ग्राम सदरौना परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खाता संख्या 00290 पर अंकित गाटा संख्या 754 रकबा 0.568हे० प पर छत्रपतिसाहजी महाराज एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा प्रबन्धक श्रीअवधेश सिंह पुत्र महावीर प्रसाद निवासी 554/647 छोटा बरहा आलमबाग जिला लखनऊ का नाम संकमणीय भूमिधर खतौनी में अंकित है। उक्त भूमि पर कई वर्षों से कृषि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। वंछित धनराशि 50600/- चालान संख्या जी सी 05187 दिनांक 12.07.2018 द्वारा जमा की गई जो पत्रावली के साथ संलग्न है। वाद दर्ज किया गया पक्षों को नोटिस जारी की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या व संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। ग्राम सदरौना की खतौनी वर्ष 1420-1425 फसली तक के खाता संख्या 00290 पर अंकित गाटा संख्या 754 रकबा 0.568हे० पर छत्रपतिसाहजी महाराज एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा प्रबन्धक श्रीअवधेश सिंह पुत्र महावीर प्रसाद निवासी 554/647 छोटा बरहा आलमबाग जिला लखनऊ नाम संकमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी कार्य विगत कई वर्षों से नहीं किया जा रहा है। भूमि का उपयोग गैर कृषिक रूप में किया जा रहा है। भूमि को गैर कृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति तहसीलदार सरोजनीनगर द्वारा की गयी है।

तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या व संलग्न अभिलेखों के आधार पर ग्राम सदरौना परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1420से 1425 फसली तक की खाता संख्या 00290 पर अंकित गाटा संख्या 754 रकबा 0.568हे० मालगुजारी 60ख को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।



Chander

7/16/2018. 8:40 P

CHHATRAPATI SAHJI  
MAHARAJ EDUCATIONAL SOCIETY

Authorised Signatories



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी  
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर  
वाद संख्या :- 17675/2018  
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T201810460517675  
छत्रपति साहू जी महाराज बनाम 30 प्र० सरकार  
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

अतः तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या के आधार पर ग्राम-सद्रौना परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1420 फसली से 1425 फसली तक की खाता संख्या 00290 पर अंकित गाटा संख्या 754 रकबा 0.568 हे० पर छत्रपतिसाहूजी महाराज एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा प्रबन्धक श्रीअवधेश सिंह पुत्र महावीर प्रसाद निवासी 554/647 छोटा बरहा आलमबाग जिला लखनऊ मालगुजारी 60ख को अकृषिक घोषित किया जाता है। अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नहीं होगा इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के नियमों के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु उपयोग किया जाता है तो तहसीलदार तत्काल आख्या प्रस्तुत करेंगे। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कमी भी अविधिक एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। आदेश की प्रति अभिलेखों में अमल दरामद हेतु, तहसीलदार सरोजनीनगर को भेजी जाये तथा आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक लखनऊ को भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक- 21.7.18

असि० कलेक्टर / उपजिलाधिकारी  
सरोजनीनगर लखनऊ।



प्रमाणित, प्रतिलिपि

प्रमाणित  
उपजिलाधिकारी  
सरोजनीनगर  
लखनऊ

CHHATRAPATI SHAHUJI  
MAHARAJ EDUCATIONAL SOCIETY

Authorised Signatories

7/16/2018, 8:40 PM